न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 468 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. जगदीश 3 अशोक कुमार पि0 महावीर जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. दुर्मादत 2 दमोदर 3 कमल 4 गिरिश पि0 गोरीशंकर जाति महाजन साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. विमला 6 शारदा 7 पार्वति 8 किरण 9 ममता 10 मोहनी पुत्रीया गोरीशंकर जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
11 निरजंन कुमार पुत्र विश्वनाथ जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. विनय कुमार 13 सुरेन्द्र कुमार पि0 रामकुमार जाति महाजन निवासी नोहर ।
14 सुरेन्द्र कुमार 15 राजकुमार 16 राणी पुत्र/पुत्रीया नारायण जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
17 मोहनलाल 18 सुभाषचन्द पि0 धनराज जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
19 सुमित्रा 20 सिलोचना 21 शकुन्तला 22 सरला 23 पवना पुत्रीयान महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 68 के खसरा न0 154 मीन की 10.00 बीधा , एवं खाता संख्या 54 के खसरा न0 120 की 29.02 बीधा खसरा न0 152 की 48.01 बीधा कुल 78.00 बीधा तथा रोही मौजा ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 24 की 16.05 बीधा कुल 104.12 बीधा भूमि कुन्दनलाल की थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों रामचन्द्र , राधाकिशन गोरीशंकर का 3/4 हिस्सा लिछमण फोत होने पर उसके 1/4 हिस्सा उसके जायज वारिसान विश्वानाथ , नारायण , धनपत के नाम दर्ज हुआ। राधाकिशन , गोरीशंकर तथा लिछमण के वारिसान ने अपना अपना हक हिस्सा का बेचान कर दिया एवं मुताबिक घरू बटवारा में रामचन्द्र को 10 बीधा भूमि ललानाबास दिखनादा, व 16.03 बीधा भूमि ललानाबास जैतासरी की प्राप्त हुई थी।

ललानाबास दिखनादा की समस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा तथा 10 बीधा भूमि वादीगण के पिता द्वारा विक्रय कर दी गयी जिसके बाद ललानाबास दिखनादा में वादीगण व प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा शेष नही रहा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण को 16.03 बीधा भूमि विक्रय कर दिया व अपना सारा हिस्सा ललानाबास जैतासरी में त्याग कर दिया तथा धरू बटवारा में 16.03 बीधा भूमि जो वर्तमान में खाता संख्या 32 के खसरा न0 145 की 4.0330हैक भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही रहा है जो वादीगण काश्त करते आ रहे है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 स्वय /जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे कुन्दनलाल की थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों रामचन्द्र , राधाकिशन गोरीशंकर का 3/4 हिस्सा लिछमण फोत होने पर उसके 1/4 हिस्सा उसके जायज वारिसान विश्वानाथ , नारायण , धनपत के नाम दर्ज हुआ। राधाकिशन , गोरीशंकर तथा लिछमण के वारिसान ने अपना अपना हक हिस्सा का वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि में परिवारिक समझौता के अनुसार कोई हक हिस्सा नही है वादीगण ही वाद भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा /इकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम से दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में में कुन्दनलाल की थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों रामचन्द्र , राधाकिशन गोरीशंकर का 3/4 हिस्सा लिछमण फोत होने पर उसके 1/4 हिस्सा उसके जायज वारिसान विश्वानाथ , नारायण , धनपत के नाम दर्ज हुआ। वादीगण का कथन है कि राधाकिशन , गोरीशंकर तथा लिछमण के वारिसान ने अपना अपना हक हिस्सा का वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हको का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा /ईकबालदावा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 32 के खसरा न0 145 की 4.0330हैक भूमि में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है तथा वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 ,3 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18 1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official